न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 49/2021

उनवान

1. श्री देवी दास पुत्र नाथ दास बैरागी निवासी खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरदास पुत्र सीतारामदास बैरागी निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री श्यामदास पुत्र सीतारामदास बैरागी निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री प्रभुदास पुत्र गोकुलदास वैष्णव निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री भंवरदास पुत्र सीतरामदास बैरागी निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्याम लाल पुत्र देवी लाल धोबी निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 29.03.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 209 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1798/341 रकबा 0.5184 है0 कुल किता 01 रकबा 0.5184 है0।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जातेहैकि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 209 की कृषि भूमि की आराजी न[illegible]/341 रकबा 0.5184 है0 कुल किता 01 रकबा 0.5184 है0।** जिसकी पत्थरगढी [illegible] रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनु[illegible] निर्धारित शुल्क 300/–रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा क[illegible] 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे[illegible]

आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:58:11 IST
Reason: SelfAttested